40–(08)–53–2016

पटना में दिनांक–08 नवम्बर, 2016 मंगलवार को पूर्वाह्न 11:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

1.	65वीं अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती (कलस्टर) प्रतियोगिता–2016 के लिए BMP-05 पटना परिसर में मल्टी कम्पलेक्स इण्डोर स्टेडियम एवं जीम भवन के निर्माण एवं खेल उपकरण के क्रय हेतु तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि ₹ 2253.254 लाख (बाईस करोड़ तिरेपन लाख पच्चीस हजार चार सौ रू०) की नयी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति देने के संबंध में।	1.	स्वीकृत।

परिवहन विभाग

2.	Bihar Motor Spirit और High Speed Diesel Oil डीलर लाइसेंसिग ऑर्डर, 1966 में संशोधन के संबंध में।	2.	स्वीकृत।

परिवहन विभाग

3.	बिहार वित्त अधिनियम, 2014 (बिहार अधि० 15, 2014) में संशोधन।	3.	स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

4.	बिहार वित्त सेवा के वाणिज्य–कर पदाधिकारी कोटि के पदाधिकारी, श्रीमती अफशॉ अजीम की सेवा से बर्खास्तगी की स्वीकृति के संबंध में।	4.	स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

5.	श्री सुरेश कुमार, (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक–1127/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी–सह–अंचलाधिकारी, बलरामपुर, कटिहार (विभागीय संकल्प ज्ञापांक–8923, दिनांक–23.06.2016 द्वारा सेवा से बर्खास्त) द्वारा दंडादेश (बर्खास्तगी) के विरूद्ध समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन (दिनांक–11.08.16) अस्वीकृत करते हुए दंड यथावत् रखने के संबंध में।	5.	स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

6.	डा० संजय कुमार, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, परसण्डो, सम्प्रति निलंबित को पाँच वर्षों से अधिक लगातार अपने कर्त्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम–76 के तहत सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव।	6.	स्वीकृत।

	सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग		
7.	श्री अनन्त कुमार, तत्कालीन जिला–जन–सम्पर्क पदाधिकारी, दरभंगा, सम्प्रति निलंबित को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति के संबंध में।	7.	स्वीकृत।
	कृषि विभाग		
8.	वित्तीय वर्ष 2016–17 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना हरित क्रांति योजना अंतर्गत कुल 15614.00 लाख रूपये (एक अरब छप्पन करोड़ चौदह लाख रूपये) (केन्द्रांश 8730.00 लाख रूपये, राज्यांश 5820.00 लाख रूपये एवं राज्य योजना 1064.00 लाख रूपये) के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की स्वीकृति।	8.	स्वीकृत।
	ग्रामीण कार्य विभाग		
9.	ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत अधीक्षण अभियंता (असै०) से मुख्य अभियंता (असै०) के पद पर वेतनमान् रू० 37400–67000 ग्रेड पे–रू० 8900/–में प्रोन्नति दिये जाने का प्रस्ताव।	9.	स्वीकृत।
	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग		
10.	पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत पिपराकोठी अंचल के मौजा–पिपराकोठी, थाना नं०–210, खाता सं०–156 एवं 03. खेसरा सं०–30/01, 325/01, 327/01 एवं 331/01 रकबा–10.00 हेक्टेयर कृषि प्रक्षेत्र हेतु अर्जित भूमि पर राष्ट्रीय समेकित कृषि अनुसंधान केन्द्र, पिपराकोठी के भवन निर्माण हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, भारत सरकार को निःशुल्क हस्तान्तरण के संबंध में।	10.	स्वीकृत।
	सहकारिता विभाग		
11.	पैक्सों/व्यापार मंडलों में 500 मे॰टन एवं 1000 मे॰टन क्षमता के गोदाम निर्माण हेतु निर्धारित अर्हता को संशोधित कर नई अर्हता निर्धारित करने की स्वीकृति।	11.	स्वीकृत।
	ग्रामीण कार्य विभाग		
12.	ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत कार्यपालक अभियंता (असै०) से अधीक्षण अभियंता (असै०) के पद पर वेतनमान् रू० 37400–67000 ग्रेड पे–रू० 8700/–में प्रोन्नति दिये जाने का प्रस्ताव।	12.	स्वीकृत।

गृह विभाग

(सैनिक कल्याण निदेशालय)

13.	युद्ध एवं युद्ध जैसी स्थिति में बिहार निवासी शहीद सैनिक पदाधिकारी/सैनिक के निकटतम आश्रितों को अनुग्रह अनुदान रू० 5,00,000/-(पाँच लाख रूपये) से बढ़ाकर रू० 11,00,000/-(ग्यारह लाख रूपये) करने की स्वीकृति एवं उनके अंत्येष्टि/अंतिम संस्कार के संबंध में।	13.	स्वीकृत।